

**OFFICE OF THE CHIEF MUNICIPAL OFFICER,  
NAGAR PARISHAD BEOHARI**

**DIST- SHAHDOL M.P.**

**Tender Document**

NIT Number	:	345/e tender /Nagar Parishad Beohari
Date	:	14-05-2026
Name of Work	:	Bus stand facility fee daily collection 2026-27
Probable Amount of Contract	:	Rs 223260.00
Cost of EMD	:	Rs 4465 /-
Cost of Tender Document	:	Rs. 2000 /-
Stipulated Period of Completion	:	Financial Year 2026-27

**NAGAR PARISHAD BEOHARI DISTT- SHAHDOL M.P.**

**Section - 1**

**Notice Inviting E-Tenders**

**345/E-Tender/ BEOHARI/2026-27**


**Date:-14/05/2026**

**Online PERCENT RATE bids for the following works are invited from registered contractors and firms of repute fulfilling eligibility criteria:0nISSR Mpuadd date02/08/2021**

<b>S.No.</b>	<b>Work</b>	<b>Probable Amount (In Lakh)</b>	<b>Completion Period</b>
<b>1.0</b>	<b>Bus stand facility fee daily collection 2026-27</b>	<b>Rs 2.23 Lakh</b>	<b>Financial Year 2026-27</b>

- Interested Bidder can view the NIT on website <http://www.mptenders.gov.in> and [www.mpurban.gov.in](http://www.mpurban.gov.in)
- The Bid Document can be purchased only Online from 15-05-2026 at 10:00 PM to 29-05-2026 at 18:00 pm Tender Open 01-06-2026 at 12:00 PM Amendment to NIT, if any, would be published on website only, and not in Newspaper.

**PRESIDENT**  
**Nagar Parishad Beohari**  
**DISTT - SHAHDOL (M.P.)**

  
**CHIEF MUNICIPAL OFFICER**  
**Nagar Parishad Beohari**  
**DISTT - SHAHDOL (M.P.)**

## कार्यालय नगर परिषद ब्यौहारी जिला-शहडोल(म0प्र0)

बस स्टैण्ड बसूली वर्ष 2026-27 के लिये निविदा फार्म एवं शर्त

1. निविदादाता(ठेकेदार का नाम)\_\_\_\_\_
2. निविदादाता का पता एवं मोबाईल नम्बर\_\_\_\_\_
3. स्टैण्ड फीस वसूली का प्रकार\_\_\_\_\_
4. निविदाकार द्वारा डाली गई प्रतिभूति राशि\_\_\_\_\_

Photo

### निविदा शर्त

1. स्टैण्ड फीस वसूली हेतु ठेका की अवधि वित्तीय वर्ष 2026-27 अवधि (प्रारंभ दिनांक-15.06.2026 से 31 मार्च 2027 तक) के लिये होगी।
2. स्टैण्ड फीस वसूली बस स्टैण्ड वसूली में बस/मिनी बस का 20/- रु. प्रति वाहन, टैक्सी स्टैण्ड वसूली में जीप/टैम्पो/आटो टैक्सी 10 /-की दर से 24 घण्टे में एक बार नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत की जावेगी।
3. स्टैण्ड फीस व्यवसायिक रूप से यात्रियों से किराया लेकर सवारी होने वाले वाहनों से ही लिया जावेगा।
4. डिफाल्टर ठेकेदारों को निविदा डालने की पात्रता नहीं होगी।
5. निविदा हेतु निर्धारित जमानत राशि नगद एवं बैंक गारंटी एवं बैंक ड्राफ्ट मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद ब्यौहारी के नाम से देय होगा।
6. निविदादाता द्वारा डाली गई निविदा दर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी/अध्यक्ष को होगा।
7. निविदा दर निर्धारित स्वीकृति शासकीय राशि से कम की राशि स्वीकार नहीं की जावेगी।
8. उच्चतम निविदा स्वीकृति होने के उपरान्त तीन दिवस के अन्दर स्वीकृति निविदा राशि का 50 प्रतिशत राशि जमा कर 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध सम्पादित कराकर अधिकार पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही ठेकेदार को बसूली का अधिकार होगा।
9. उच्चतम निविदा स्वीकृति होने के बाद ठेकेदार को निर्धारित समयावधि में 50 प्रतिशत राशि जमा न करने पर जमा जमानत राशि राजसात कर द्वितीय क्रम निविदादाता को ठेका दिये जाने हेतु शर्तों के अधीन ठेका दे दिया जावेगा।
10. निविदा दर की 50 प्रतिशत राशि जमा होने के उपरान्त शेष राशि 08 किस्तों में प्रत्येक माह के 10 तारीख तक जमा करना अनिवार्य होगा। किस्त माह जुलाई 2026 से चालू होगी, अन्तिम किस्त दिनांक 10.02.2027 को जमा करना अनिवार्य होगा।
11. स्टैण्ड फीस की वसूली नगर परिषद ब्यौहारी क्षेत्र में निकाय द्वारा निर्धारित स्थान पर ही की जावेगी।
12. किस्त की राशि निर्धारित तिथि पर जमा न करने पर 10 प्रतिशत मासिक अर्थदण्ड के साथ 15 दिवस तक जमा की जा सकेगी 15 दिवस के उपरान्त जमा न करने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

13. वसूली निर्धारित प्रारूप में ही की जावेगी, रसीद बुक कार्यालय से प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा बिना कार्यालय के प्रमाणित रसीद से वसूली अवैधानिक होगी, तथा रसीद स्वयं के व्यय पर मुद्रित करानी होगी।
14. किसी भी अवैध वसूली की शिकायत प्राप्त होने पर जांच में सत्यता पाये जाने पर ठेका निरस्त कर जमा राशि राजसात कर ली जावेगी तथा शेष अवधि के लिये द्वितीय क्रम के निविदाकार को आवश्यक औपचारिकता पूर्ण कर दे दिया जावेगा। तथा अन्तर की राशि प्रथम ठेकेदार के चल-अचल सम्पत्ति से नगर पालिका अधिनियम में वर्णित प्रावधान अनुसार वसूल की जावेगी।
15. अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को वसूली पर तैनात नहीं किया जावेगा किसी भी परिस्थिति में झगड़ा या विवाद होने पर ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होंगे।
16. वसूली का कार्य बैरियर लगाकर किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
17. ठेका अवधि में शासन/वरिष्ठालय के आदेश/निर्देश के अनुसार ठेका की अवधि क्रम (घटाई) जा सकती है। इसके लिये ठेकेदार को कोई वाद/न्यायालयीन प्रकरण दायर करने का अधिकार नहीं होगा।

उपरोक्त शर्त क. 1 से 17 तक की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा।

*Shivani*  
14/05/26  
मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर परिषद ब्यौहारी  
जिला-शहडोल म0प्र0